तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 66/2021 रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम अर्जुनलाल (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 25.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त अर्जुनलाल अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री योगेश पाराशर** उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह कैलाशचन्द का जमानती वारंट अदम तामील व गवाह भंवरदान व नंदलाल का जमानती वारंट ईमेल की सूचना के पृष्ठांकन के साथ प्राप्त हुआ।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह भंवरदान पीडब्ल्यू 06 व नंदलाल पीडब्ल्यू 07 के बयान लेखबद्ध किए गए। साक्ष्य अभियोजन में अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह कैलाशचन्द को जरिये जमानती वारंट 5,000/— से तलब किया जावें।

गवाहान को जारी तामील पर प्रकरण पुराना होने व टारगेट केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 08.04.2026 को पेश हो।